# न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

**राजस्व अपील सं. : 35/2022 (2022/40)**

**अपीलान्ट्स**

1. हरखाराम पुत्र मगाराम
2. सिणगारी देवी पत्नी मगाराम
3. गुमनाराम पुत्र मगाराम
4. दमाराम पुत्र मगाराम

जातियान जाट, निवासीगण गोपालापुरा, नाथडाउ, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

**बनाम**

**रेस्पोडेन्ट्स**

1. बागाराम पुत्र खेताराम
2. तिलाराम पुत्र हड़मानाराम

जातियान जाट, निवासीगण गोपालपुरा, नाथडाउ, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.05.2022 न्यायालय तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 2/2022 में पारित पारित किया गया।**

———

**उपस्थिति :–**

1. अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बावरला (अपीलान्टस)।
2. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (रेस्पोडेन्ट्स)।

**–: आदेश :–** दिनांक :–22.08.2022

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आदेश दिनांक 16.05.2022 न्यायालय तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 2/2022 में पारित पारित किया गया, के विरूद्ध पेश की है। प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है।

जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट्स ने एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.05.2022 को प्रस्तुत कर बतलाया कि ग्राम गोपालपुरा, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर में स्थित खसरा संख्या 1470 में आने–जाने हेतु आम रास्ता अपीलान्टस द्वारा बन्द कर दिया गया जिससे रेस्पोडेन्ट्स को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उक्त खेत सामलाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:56 IST
Reason: SelfAttested

है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी नियत की। आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.05.2022 को अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका में वर्णित किया कि अपीलान्ट गुमनाराम, दमाराम उपस्थित हुए सिणगारी अनुपस्थित जिसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 16.05.2022 को पेश हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाब व साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही प्रार्थना–पत्र का विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया, इससे व्यथित होकर यह राजस्व अपील पेश की है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड प्राप्त हाने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 17.08.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गयी।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने सभी सहखातेदारों को सुनवाई का नोटिस जारी नहीं किया ऐसी स्थिति में तहसीलदार सेखाला ने विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार सेखाला को अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रभावित पक्षकार (भूमि के खातेदार) को सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी प्रकार का आदेश दिये जाने का कोई क्षेत्राधिकार कानूनी नहीं है। इस कारण अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि रेस्पोडेन्ट्स ने एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.05.2022 को प्रस्तुत कर बतलाया कि ग्राम गोपालपुरा, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर में स्थित स्थित खसरा संख्या 1470 में आने–जाने हेतु आम रास्ता अपीलान्ट्स द्वारा बन्द कर दिया गया, जिस पर तहसीलदार ने अपीलार्थीगण/अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया जबकि अधिसूचना 7-A, REVENUE(Gr.4)DEPARTMENT NOTIFICATION Jaipur, September14,1982 के अनुसार धारा 251 की उपधारा (1) द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त शक्तियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रास्ते के आवेदन भूमि धारकों द्वारा र[illegible] अधिकार का प्रयोग ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:56 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा किया जायेगा जिस ग्राम में भूमि स्थित है। इसमें तहसीलदार को मिले आवेदन इस तरह के निपटान के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में विधिवत् दर्ज किया जाएगा। उसके बाद आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत को निपटान के लिए अग्रेषित किया जाएगा। जिन मामलों में ग्राम पंचायत 45 दिनों के भीतर आवेदन का निपटान करने में विफल रहती है तो 45 दिन बाद अधिकार क्षेत्र वाले तहसीलदार को आवेदन वापस लेने की शक्ति होगी तथा तहसीलदार उस आवेदन का निपटान कर सकेगे। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेखाला द्वारा उक्त नियमों की पालना नहीं की जाकर प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सीधा ही स्वयं के द्वारा निर्णित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी के खेत में जाने का माट–माट से वैकल्पिक मार्ग पहले से मौजूद है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलान्ट के हिस्से की भूमि को दो भागों में विभाजित करने की नियत से झूठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीगण को केवल परेशान करने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत जरिये सरपंच, उपसरपंच तथा वार्डपंचो की रिपोर्ट पेश कर बतलाया कि वर्तमान में खेत के कणें–कणें मौके पर रास्ता चल रहा है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने न्यायिक निर्णय नजीर आर0 आर0 डी0 1973 पेश कर कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत किसी भी प्रभावित खातेदार को पक्षकार बनाना व सुनना जरूरी है। प्रभावित पक्षकार के बयान व उसको पक्ष रखने का समुचित अवसर देना जरूरी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 के अधिवक्ता ने लिखित जवाब पेश कर बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिवत् व न्याय संगत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलार्थीगण को नोटिस विधिवत् तामिल होने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट का अवलोकन करके मामला सुखाचार का होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर कदीमी रास्ते को आवागमन के लिए खुलवा दिया गया। मौके पर रास्ता [illegible] नुसार खुलवाया जाकर पालना की जा चुकी है इसलिए अपीलान्ट की अपील खारिज [illegible] होने–खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:56 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि रेस्पोडेन्ट का आम सुखाचार का रास्ता अपीलान्टगण द्वारा ही बन्द कर अवरोध पैदा किया गया था। शेष खातेदारों द्वारा सुखाचार के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया गया था इसलिए शेष खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टगण द्वारा किसी प्रकार का जवाब या आपत्ति पेश नहीं की गई, अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना–पत्र या अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये थे जिससे यह जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट इस भूमि के खातेदार न हो और आवागमन का रास्ता मौके पर न हो इसलिए अपील चलने योग्य नहीं है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि खसरा संख्या 1470 ग्राम गोपालपुरा में स्थित है जिसका विधिवत् रूप से बंटवाडा किया हुआ नहीं है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित रास्ता पीढीयों से चला आ रहा है जो सुखाचार का रास्ता है। वर्तमान में भूमि का बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जब तक विधिवत रूप बंटवाड़ा होकर ट्रेस नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग अंकन नहीं होता है तब तक प्रत्येक सहखातेदार का सम्पूर्ण रकबे में हिस्सा माना जाता है। अपीलान्ट का उक्त कथन सरासर गलत है कि मौके पर किसी प्रकार का रेस्पोडेन्ट के लिए रास्ता नहीं है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करके बन्द रास्ता खुलवाया गया है। अगर मौके पर आवागमन का कोई दूसरा रास्ता होता तो पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट बाबत् अपीलान्टगण ऐतराज पेश करते जबकि ऐसी कोई आपत्ति अपीलान्टगण द्वारा पेश नहीं की गई।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा जो दस्तावेज पेश किया गया है उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने हेतु उक्त दस्तावेज प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ पेश करने चाहिए था अतः अपीलान्ट द्वारा जो दस्तावेज अपील में पेश किये गये है उनको रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाना चाहिए। रेस्पोडेन्टस् के खेत में आने–जाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पूर्णरूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त फरमावे।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील और अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यों की स्थिति यह है कि प्रथमतः अधिसूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:56 IST
Reason: SelfAttested

7-A, REVENUE(Gr.4)DEPARTMENT NOTIFICATION Jaipur, September14,1982 के अनुसार धारा 251 की उपधारा (1) द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त शक्तियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रास्ते के आवेदन भूमि धारकों द्वारा सुखभोग या अधिकार का प्रयोग ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा जिस ग्राम में भूमि स्थित है। इसमें तहसीलदार को मिले आवेदन इस तरह के निपटान के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में विधिवत् दर्ज किया जाएगा। उसके बाद आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत को निपटान के लिए अग्रेषित किया जाएगा। जिन मामलों में ग्राम पंचायत 45 दिनों के भीतर आवेदन का निपटान करने में विफल रहती है तो 45 दिन बाद अधिकार क्षेत्र वाले तहसीलदार को आवेदन वापस लेने की शक्ति होगी तथा तहसीलदार उस आवेदन का निपटान कर सकेगे। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेखाला द्वारा उक्त नियमों की पालना नहीं की जाकर प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सीधा ही स्वयं के द्वारा निर्णित कर दिया गया। द्वितीयतः अपीलार्थीपक्ष ने बतलाया कि रेस्पोडेन्टगण के आने–जाने के लिए कणें–कणें (किनारे–किनारे) रास्ता पहले से उपलब्ध है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित खातेदारों के साक्ष्य व बयान भी दर्ज नहीं किये गये। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सेखाला द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अधिसूचना 7-A, REVENUE(Gr.4)DEPARTMENT NOTIFICATION Jaipur, September14,1982 की पालना करते हुए तथा मौके की वास्तविक रिपोर्ट तलब कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करे। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 22.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:56 IST
Reason: SelfAttested

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।